## समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.

आर्चडायोसिस ऑफ भोपाल
33, अहमदाबाद पैलेस रोड,
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.) .......... आवेदक

विरुद्ध

1. मुकेश श्रीवास्तव, आयु लगभग 48 वर्ष
   आत्मज स्व. श्री लालबाबू श्रीवास्तव
2. श्रीमती मनीष श्रीवास्तव, आयु लगभग 40 वर्ष
   पत्नी श्री मुकेश श्रीवास्तव
   दोनों निवासी– कोठी बाजार, होशंगाबाद,
   तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.) .......... अनावेदकगण

### निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा अपील प्रकरण क्र. 188/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

### प्रकरण के तथ्य

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29.10.2015 | आवेदक की ओर से श्री राजेश गिरी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 22.9.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसीलदार होशंगाबाद को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के विपरीत है, क्योंकि उक्त धारा में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर गुणदोष पर अंतिम निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है। | 29.1015 |
| | अध्यक्ष | |